



भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

PUN.CAB.APTP.No.S1065 /09-06-002/2025-2026

28 नवंबर, 2025

प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अनुसूचित विनियोगीक बैंक (RRB और SFB सहित)
ग्रामीण सहकारी बैंक

महोदया / महोदय,

नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के वित्तपोषण पर कार्यक्रम 05 से 06 जनवरी, 2026

भारतीय रिजर्व बैंक, CAB, पुणे 05 से 06 जनवरी, 2026 के दौरान CAB, पुणे के परिसर में "नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के वित्तपोषण पर कार्यक्रम" आयोजित कर रहा है।

2. कार्यक्रम के उद्देश्य: जलवायु वित्त आवश्यकताओं के उभरते पैमानों, हरित विकास मार्गों को बढ़ावा देने और नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करते हुए शमन वित्त से संबंधित क्षेत्रों में वित्तीय संस्थानों की क्षमता निर्माण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यह कार्यक्रम निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ आयोजित किया जा रहा है:

- भारत में नवीकरणीय ऊर्जा वित्त की स्थिति को समझना, वित्तीय उपकरण - अवसर और चुनौतियाँ।
- नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण से संबंधित सरकारी योजना निर्देश और नीति परिवेश को समझना।
- सौर और बायोमास आधारित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन को समझना।
- प्रतिभागियों को अपनी पोर्टफोलियो में नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण को एकीकृत करने की रणनीतियों को डिजाइन करने के लिए सक्षम बनाना।

3. स्थान और आवास

कार्यक्रम आवासीय है। ठहरने और खाने की व्यवस्था सीएबी परिसर में की जाएगी। प्रतिभागी 04 जनवरी, 2026 की संध्या को सीएबी में रिपोर्ट कर सकते हैं और कार्यक्रम के समापन के दिन पर प्रस्थान कर सकते हैं। ओवरस्टे और अतिथि के साथ आने की अनुमति नहीं है।

4. पाठ्यक्रम सामग्री:

कार्यक्रम की व्यापक पाठ्यक्रम सामग्री अनुबंध। में दी गई है।

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, विद्यापीठ मार्ग, पुणे - 411 016 (महाराष्ट्र) भारत
फोन : (91-020) 25538392 फैक्स : (91-020)25538959/25537089 ई-मेल: principalcab@rbi.org.in

College of Agricultural Banking, University Road, Pune - 411 016 (Maharashtra) INDIA
Phone : (91-020) 25538392 Fax : (91-020) 25538959 E-mail : principalcab@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइये

5. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम के लिए आप अपने बैंक से उपयुक्त अधिकारियों को नामित करें। नामांकन **26 दिसंबर, 2025** को या उससे पहले nomination.ami@rbi.org.in पर भेजे जा सकते हैं। भागीदारी शुल्क का विवरण अनुबंध ॥ में दिया गया है। कृपया ध्यान दें कि नामांकन **First Come First Served Basis (FCFS)** के आधार पर स्वीकार किए जाएंगे क्योंकि सीटें सीमित हैं।

6. नामांकन संबंधी पूछताछ के लिए, आप नामांकन डेस्क (श्री प्रथमेश पाटील – 9503779432 / श्रीमती साधवी भाटिया – 9834023900) से संपर्क कर सकते हैं या ई-मेल के माध्यम से nomination.ami@rbi.org.in पर संपर्क कर सकते हैं।

IMPORTANT DATES	
कार्यक्रम तिथियां	05 से 06 जनवरी, 2026
नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	26 दिसंबर, 2025
CAB में रिपोर्टिंग	04 जनवरी, 2026, शाम को
कार्यक्रम का समय	सुबह 09:45 से शाम 05:30 बजे तक
कार्यक्रम का समापन	06 जनवरी, 2026 को शाम 05.30 बजे

सादर



(सचिन कांबले)

उप महाप्रबंधक एवं संकाय सदस्य

कार्यक्रम निदेशक

Contact: 020-25582314

Email ID- sachinkamble@rbi.org.in

Encl.: As above

Module 1: Renewable Energy Financing – Overview, Challenges & Opportunities

- Renewable Energy status overview in India
- RE potential in India – geographical and sectorial context
- Opportunities and Challenges for RE financing – emerging paradigm
- Regulatory and Policy Frameworks, Government Schemes and programmes.

Module 2: Financing of Solar Energy Projects

- Financing of projects for solar pumping systems
- Financing of Component A and C under PM KUSUM
- Financing of Solar Roof Top Projects

Module 3: Financing - Non-Solar Renewable Energy Projects

- Financing of the biomass based power generation
- Financing Opportunity under small hydro, biogas power generation
- Bio-CNG production.
- Green Hydrogen Production – Concept and Approaches

Module 4: Carbon Credit Potential Assessment of the RE projects

- Assessment methodology of the carbon credit under RE project
- Case study on the carbon credit assessment of RE project
- Carbon trading mechanism

किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के वित्तपोषण पर कार्यशाला (27 से 28 अक्टूबर, 2025)

Fee Structure

Group		Fees per participant	18% GST	Total fees to be paid per participant (including GST)
Commercial Banks and Financial Institutions	Residential	12,100	2,178	14,278
	Non-residential	8,000	1,440	9,440
Scheduled UCBs, Non-Scheduled UCBs with deposit base of more than Rs.100 crore, RRBs, Local Area Banks, State Cooperative Banks and NBFCs	Residential	9,100	1,638	10,738
	Non-residential	6,000	1,080	7,080
Non-Scheduled UCBs with deposit base of less than Rs.100 crore, Small Finance Banks, Payment Banks, Government Departments, DCCBs, NGOs, State Level FIs, Non-NBFC MFIs and Certified Credit Counsellors	Residential	6,100	1,098	7,198
	Non-residential	4,000	720	4,720

Please use the programme code AMI-05012026 in Sender to Receiver Information while remitting the fee through NEFT.

PLEASE DON'T REMIT THE PAYMENT THROUGH RTGS. PLEASE MAKE THE PAYMENT BY NEFT ONLY.

In terms of section 48 of RBI Act 1934, RBI is exempted from payment of Income Tax or Super Tax on any of its Income, Profits or Gains. Nominating institutions should therefore not deduct TDS on the Programme Fees.



भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 1969 में ग्रामीण और सहकारी बैंकिंग में प्रशिक्षण इनपुट प्रदान करने के लिए कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी) की स्थापना की गई। इसके बाद, भारतीय वित्तीय क्षेत्र की बदलती अपेक्षाओं को ध्यान में रखे हुए, महाविद्यालय द्वारा कृषि बैंकिंग, एमएसएमई वित्तपोषण, वित्तीय समावेशन और साक्षरता, मानव संसाधन और नेतृत्व आदि जैसे अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपने दायरे का विस्तार किया गया। अकादमिक वर्ष 2021 से महाविद्यालय द्वारा चार फोकस एरिया (4C) यथा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण और अनुपालन प्रबंधन की पहचान की गई हैं ताकि वित्तीय प्रणाली में मजबूती प्रदान करने और सेवा मानकों में वृद्धि करने के लिए बैंकरों तथा फाइनेंशियल प्रोफेशनलों की क्षमता निर्माण की जा सके। महाविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से कार्यक्रमों और अनुसंधान सम्मेलनों का भी आयोजन किया जाता है। इसी के साथ, महाविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के लिए उनकी आवश्यकतानुसार कस्टमाइज प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

वर्ष 2015 से एमएसएमई वित्तपोषण के क्षेत्र में विशेषीकृत नैमकैब कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए नोडल संस्थान के रूप में नामित किए जाने के साथ ही वर्ष 2021 में मिशन 'अवतु' के अंतर्गत साइबर सुरक्षा पर शहरी सहकारी बैंकों के विभिन्न स्टेकहोल्डरों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए महाविद्यालय को 'नोडल संस्थान' के रूप में नामित किया गया।